

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 — आश्विन 22, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक 7800/2419/21-ब/छ. ग./2020. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला, बालोद, बलौदाबाजार, दुर्ग, कोणडागांव, कोरबा, महासमुन्द, रायगढ़ एवं रायपुर के लोक अभियोजक को सांसद/विधायक के मामलों में भी त्वरित विचारण हेतु विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य करने के लिये अधिसूचित करता है.

No. 7800/2419/XXI-B/C. G./2020. — In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1973), the State Government, hereby, notifies, the Public Prosecutor of District Balod, Balodabazar, Durg, Kondagaon, Korba, Mahasamund, Raigarh and Raipur respectively to act also as Special Public Prosecutor for speedy trial of cases pertaining to M. P.'s/MLA's.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.